**संख्या- 14/2016/05/बयालिस-2016-44(बजट)/2013**

प्रेषक,

डा0 अनिता भटनागर जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

**खेल अनुभाग** **लखनऊ : दिनांक : 04 मार्च, 2016**

**विषय :- जनपद बलिया स्टेडियम का आधुनिकीकरण एवं जिम सेन्टर की स्थापना कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 1229/नि0खे0क0पत्रा0/2015-16, दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 एवं जी0- 1281/नि0खे0का0पत्रा0/2015-16, दिनांक 24 फरवरी, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलिया स्टेडियम का आधुनिकीकरण एवं जिम सेन्टर की स्थापना कार्य हेतु शासनादेश संख्या- 656-बयालिस/2014-44(बजट)/2013, दिनांक 04.03.2014 द्वारा रू0 119.91 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत करते हुए रू0 60.00 लाख निर्गत किया गया था एवं द्वितीय किश्त के रूप में शासनादेश संख्या- 908/बयालिस-2014-44(बजट)/2013 दिनांक 31 मार्च, 2014 द्वारा पी0एल0ए0 में जमा धनराशि रू0 40.00 लाख को शासनादेश संख्या- 567/बयालिस-2015-44(बजट)/2013, दिनांक 25.03.2015 द्वारा आहरित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। वित्तीय वर्ष 2015-16 में बजट में प्राविधानित धनराशि रू0 1000.00 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 19.91 लाख (उन्नीस लाख इक्यान्बे हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(1)- उक्त स्वीकृति धनराशि रू0 19.91 लाख (उन्नीस लाख इक्यान्बे हजार मात्र) निदेशक, खेल द्वारा कोषागार से आहरित करके निर्माण इकाई पैकफेड को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(2)- स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेगें। स्वीकृत की जा रही धनराशि को डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट/बैक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(3)- परियोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो। अत: इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212 (Vii) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4)- पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या- 656-बयालिस/2014-44(बजट)/2013, दिनांक 04.03.2014 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

2- उक्त धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03 खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-87-खेल एवं खेल से सम्बन्धित कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिये-24 वृहत निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा ।

3- उक्त स्वीकृत वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी0-1/925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधानित अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीया,

डा0 अनिता भटनागर जैन
प्रमुख सचिव।

**संख्या- 14/2016/05/बयालिस-2016 तददिनांक :-**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-**

1- महालेखाकार उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- जिलाधिकारी, बलिया।
5- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी आजमगढ़/क्रीड़ाधिकारी, बलिया।
6- प्रबन्ध निदेशक, पैकफैड, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
9- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर प्रति।

आज्ञा से,

( अनिल कुमार )
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in